राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1489/2024

विमल कुमार वर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दहमीकलां, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.03.2024
आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दहमीकलां, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.04.2005 को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रोहुआ (सिरोही) में हुई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी का व्याख्याता (संस्कृत) स्कूल शिक्षा में सीधी भर्ती से चयन हुआ। तत्पश्चात अपीलार्थी को महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापन हेतु चयनित होकर आदेश दिनांक 01.10.2019 द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दहमी कलां में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से शहीद राजीव सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लुहाकाना खुर्द, जयपुर बिना प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के दोहरा पदस्थापन/अधिशेष दिखाते हुए किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र बगरू एवं जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जयपुर ने आदेश दिनांक 14.10.2019 (अनुलग्नक–3) द्वारा

अपीलार्थी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है और वर्तमान में अपीलार्थी को आगामी लोक सभा चुनाव का विभिन्न कार्य भी सौंपा जा रहा हैं (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणोली जिला टोंक बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित के सिर्फ श्वेता मंगल को समायोजित करने के लिए स्थानान्तरण किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 466/2023 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30.01.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा स्थगन प्रदान किया गया। उक्त स्थगन आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 20.04.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा दिनांक 01.02.2023 को कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2022–23 की रिक्ति के विरुद्ध पे मैट्रिक्स लेवल –14 में उप प्राचार्य एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की और आदेश दिनांक 27.02.2023 (अनुलग्नक–8) द्वारा निजी प्रत्यर्थी श्वेता मंगल को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 28.03.2023 (अनुलग्नक–9) द्वारा व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद के विरुद्ध श्वेता मंगल का वेतन स्वीकृत किया। माननीय न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 05.02.2024 (अनुलग्नक–10) द्वारा दिनांक 30.01.2023 के अंतरिम स्थगन आदेश की पुष्टि करते हुए उपरोक्त अपील का निस्तारण कर दिया और प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी के संबंध में नये सिरे से स्थानान्तरण करने की स्वतंत्रता दी गई। अपीलार्थी व्याख्याता (संस्कृत) के स्वीकृत पद पर कार्यरत है एवं उसका वेतन आहरित हो रहा है। अपीलार्थी के पिता वृद्ध हैं और वह 2014 से गर्दन के कैंसर की लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और लगातार संतोकबा दुर्लभी मेमोरियल अस्पताल में इलाज चल रहा हैं (अनुलग्नक–11)। आदेश दिनांक 08.05.2012 (अनुलग्नक–12) द्वारा कर्मचारी के स्थानांतरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि शिक्षक स्वयं या उसके आश्रित ब्रेन ट्यूमर/एड्स, किडनी या कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाए और उनकी पसंद के स्थान पर पदस्थापित किया जाए। अपीलार्थी के पिता भी कैंसर की लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है और अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 120 कि.मी. दूर स्थानांतरित कर दिया है। अपीलार्थी का लगभग 30 वर्ष का छोटा भाई विकलांग है और जन्म से ही बहरा और गूंगा है और वह मिर्गी रोग से भी पीड़ित है और उसका लगातार इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–13)। अपीलार्थी के परिवार में उसके वृद्ध कैंसर रोगी पिता, नाबालिग बच्चे और विकलांग के साथ–साथ बहरे और गूंगे और मिर्गी रोग वाले भाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–2) को

अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दहमीकलां, जयपुर में निरंतर कार्य करने दिया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1), जिसके द्वारा अपीलार्थी को दोहरे पदस्थापन के आधार पर वर्तमान पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दहमीकलां, सांगानेर, जयपुर से शहीद राजीव सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लुहाकाना खुर्द, जयपुर किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का दोहरा पदस्थापन नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणोली जिला टोंक में स्थानान्तरण किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 466/2023 दायर की गई और अधिकरण द्वारा आलौच्य आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश जारी किया गया। इस कारण अपीलार्थी वहीं पदस्थापित रह गया और निजी प्रत्यर्थी श्वेता मंगल ने भी वहां कार्यभार ग्रहण कर लिया। उक्त अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 05.02.2024 (अनुलग्नक–10) द्वारा निस्तारित कर अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश को confirm किया गया और अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी के संबंध में नये सिरे से स्थानान्तरण करने की स्वतंत्रता दी गई। निजी प्रत्यर्थी की आदेश दिनांक 27.09.2023 द्वारा उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हो गई है। अपीलार्थी व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर कार्यरत है। इसलिए दोहरे पदस्थापन की स्थिति नहीं है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग का निवेदन है कि श्वेता मंगल के उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति आदेश के संबंध में काउंसलिंग एवं पदस्थापन करने पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक के कारण निजी प्रत्यर्थी को उप प्राचार्य के पद पर पदस्थापन किया गया और निजी प्रत्यर्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दहमीकलां, जयपुर में ही कार्यरत है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिकरण में दायर अपील में पारित निर्णय के दृष्टिगत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की नियम विरूद्धता नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7643/2022 में जारी स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई, जिससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी के पदोन्नति आदेश के आधार पर काउंसलिंग और पदस्थापन के संबंध में रोक है। उक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील संख्या 466/2023 में अधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को उभय पक्ष के स्थानान्तरण के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। निजी प्रत्यर्थी के पदोन्नति पर पदस्थापन करने पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्रभावी है इस कारण एक पद के विरूद्ध दो लोक सेवक कार्यरत है। अपीलार्थी वर्ष 2019 से इस विद्यालय में पदस्थापित है और निजी प्रत्यर्थी को यद्यपि पदोन्नत कर दिया परन्तु काउंसलिंग और पदस्थापन के संबंध

में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक होने के कारण अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी वर्तमान में एक ही विद्यालय में व्याख्याता संस्कृत के पद पर कार्यरत होने से दोहरे पदस्थापन के दृष्टिगत आलौच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी को समुचित पदस्थापन अवधि के उपरान्त जयपुर जिले में ही पदस्थापित किया है। इस आलौच्य आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना एवं नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)